

## VINAY PURANIK ADVOCATE

Office : M4 - M8, 1st Floor, 6, Regency Arcade, Navratan Bagh, AB Road, Above Prashant Nashta Corner,  
Indore (MP) Email- [vinay.puranik7@gmail.com](mailto:vinay.puranik7@gmail.com) Mob:- 9179041641

---

### पंजीकृत डाक द्वारा मांग सूचनापत्र

दिनांक: 12.06.2024

प्रति,

गुप्ता इंडस्ट्रीज तर्फे प्रोप्राइटर श्री ..... गुप्ता

महोदय,

मेरे पक्षकार निर्मला सिंघल, पति स्व श्री महेशचंद्र सिंघल, निवासी : 47, मनीषबाग कॉलोनी, इंदौर (म.प्र) द्वारा अधिकृत एवं निर्देशित किया जाने पर यह मांग सूचना पत्र आपकी और निम्न आधारों पर प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि—

1. यह कि, मेरे पक्षकार एवं आप नोटीसी दोनों के मध्य पुराने मित्रता पूर्वक व व्यवसायिक एवं पारिवारिक सम्बन्ध होकर आप नोटीसी को हमारे पक्षकार आपके व्यवसायिक एवं पारिवारिक कार्यों की आवश्यकताओं हेतु समय समय पर आर्थिक रूप से सहयोग करते रहे हैं ।
2. यह कि, आप नोटीसी को रुपयों की आवश्यकता होने से आपने मेरे पक्षकार से रुपए 5,00,000/— (अक्षरी रुपए पांच लाख मात्र) की मांग कि, चूँकि आप नोटीसी व मेरे पक्षकार एवं मेरे पक्षकार के पति के मध्य पुराने मित्रता पूर्वक व पारिवारिक सम्बन्ध रहे हैं, मेरे पक्षकार ने आप नोटीसी की मांग स्वीकार करते हुए आप नोटीसी को रुपए 5,00,000/— (अक्षरी रुपए पांच लाख मात्र) ऋण स्वरूप प्रदान किये थे जिसकी अदाएगी हेतु आपके द्वारा अपने खाते का स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया एक चेक क्र. 512252 जो कि Axis Bank Sapna Sangita

## VINAY PURANIK ADVOCATE

Office : M4 - M8, 1st Floor, 6, Regency Arcade, Navratan Bagh, AB Road, Above Prashant Nashta Corner,  
Indore (MP) Email- [vinay.puranik7@gmail.com](mailto:vinay.puranik7@gmail.com) Mob:- 9179041641

---

Road, Indore Branch का रूपए 5,00,000/— (अक्षरी रूपए पांच लाख मात्र) मूल्य का होकर दिनांक 03.06.2024 एवं पश्चातवर्ती तिथियों पर देय था, दिया एवं विश्वास दिलाया था कि उक्त दिनांक के पश्चात् प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान मेरे पक्षकार को प्राप्त हो जावेगा ।

4. यह कि, उक्त चेक मेरे पक्षकार द्वारा भुगतान प्राप्ति हेतु स्वयं की बैंक, ICICI Bank में स्वयं के खाते में प्रस्तुत किये जाने पर आप नोटीसी द्वारा अपने बैंक खाते में जान बूझकर दुर्भावनावश भुगतान न करने की नियत से पर्याप्त धन राशि नहीं रख अपने खाते को ब्लॉक करवा लिया जिससे उक्त चेक बगैर भुगतान अनादरित हो मेरे पक्षकार की बैंक के चेक अनादरण मेमो दिनांक 05.06.24 के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिस पर अनादरण का कारण “Account blocked situation covered in 2125” ऐसा दर्ज था जिससे स्पष्ट है कि आप नोटीसी द्वारा जान बूझकर मेरे पक्षकार की चेक राशि रूपए 5,00,000/— (अक्षरी रूपए पांच लाख मात्र) जो कि मेरा पक्षकार आपसे वैधानिक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है, को हड़पने के आशय से दुर्भावनापूर्वक आप नोटीसी ने भुगतान न करने की नियत से अपने बैंक खाते में पर्याप्त धन राशि नहीं रख अपने खाते को ब्लॉक करवा लिया जो कि परक्राम्य लिखित अधिनियम कि धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कि श्रेणी में आता है तथा आपके द्वारा हमारे पक्षकार के साथ छल कपट एवं धोखाधड़ी व् अमानत में खयानत की है जिसके लिए मेरा पक्षकार आपके विरुद्ध धारा 406, 420 भा.द.वि. के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

## VINAY PURANIK ADVOCATE

Office : M4 - M8, 1st Floor, 6, Regency Arcade, Navratan Bagh, AB Road, Above Prashant Nashta Corner,  
Indore (MP) Email- [vinay.puranik7@gmail.com](mailto:vinay.puranik7@gmail.com) Mob:- 9179041641

---

अतः इस मांग सुचना पत्र के माध्यम से आप नोटीसी को सूचित किया जाता है कि मांग सुचना पत्र प्राप्ति से 15 दिवस के अंदर चेक राशि रूपए 5,00,000/- (अक्षरी रूपए पांच लाख मात्र) का भुगतान मेरे पक्षकार को कर लेखी रसीद प्राप्त कर लेवें, बाद मियाद मेरे पक्षकार आपके विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही करने हेतु बाध्य होंगे जिससे होने वाले समस्त हर्जे-खर्चे एवं परिणामों की जवाबदारी आप नोटीसी कि होगी, साथ ही आप नोटीसी इस सुचना पत्र का व्यय रूपए 5,000/- मेरे पक्षकार को पृथक से अदा करें । सो सूचित हो ।

इंदौर

दिनांक 12.06.24

भवदीय

विनय पुराणिक

अधिवक्ता